छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927
Email - office.rera.cg@gov.in, website- https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक–10 / रेरा / 2019 / 140   रायपुर, दिनांक 10 / 01 / 2019

/ / आदेश / /

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय–2 की धारा 3(1) के परन्तुक में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण द्वारा आदेश क्रमांक–04 / रेरा / 2018 / 364, दिनांक 27.07.2018 के माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्लानिंग एरिया के बाहर के क्षेत्रों में भी स्थित समस्त रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को रेरा की परिधि में सम्मिलित करते हुए, ऐसे प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 31 अगस्त, 2018 तक की समयावधि निर्धारित की गई थी। जिसमें प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश क्रमांक–08 / रेरा / 2018 / 576, दिनांक 04.10.2018 के माध्यम से दिनांक 31 अक्टूबर, 2018 तक की वृध्दि की गई थी।

अधिनियम की धारा 37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु पूर्व नियत समयावधि में 31 मार्च, 2019 तक की वृध्दि की जाती है।

(मान. अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमोदित)

10.01.19
(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

G:\RAVI RERA\LETTER.DOC 72